# बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड

**(बिहार सरकार का उपक्रम)**

पत्रांक–बी0एस0एम0सी0– 01/स्था-5/17-304          पटना, दिनांक– 28/05/18

प्रेषक,

आनन्द प्रकाश सिन्हा,
महाप्रबन्धक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)

सेवा में,

सहायक निदेशक / खान निरीक्षक /
खनिज विकास पदाधिकारी,
जिला खनन कार्यालय,
(पटना, भोजपुर, नालन्दा, रोहतास, कैमूर, नवादा,
औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई,
लखीसराय, बाँका एंव भागलपुर)।

**विषयः–** **कार्यालय आदेश ज्ञापांक 245 दिनांक–03.05.2018 एंव ज्ञापांक–273 दिनांक–14.05.2018**

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि कार्यालय आदेश ज्ञापांक 245 दिनांक–03.05. 2018 के आलोक में आपके जिला के डिपो प्रबंधक/सहायक लेखापाल को उनके पैतृक निगम में सेवा लौटाने हेतु विरमित करने के पूर्व उनसे सभी आवश्यक उपकरण यथा–ब्लूटुथ प्रिंटर, पॉस मशीन के साथ–साथ उपलब्ध लघु खनिज (बालू/पत्थर का पूरा ब्योरा), सभी आवश्यक कागजात, कैशबुक इत्यादि का प्रभार लेने के पश्चात् ही उन्हें विरमित करने एंव पदभार लेने का आदेश दिया गया था। लेकिन अभी तक इस पत्र के आलोक मे निगम मुख्यालय,पटना को पूर्ण जानकरी मुहैया नही करायी गयी है।

2. अतः आपको इस पत्र के माध्यम से निर्देश दिया जाता है की बफर स्टॉक का पदभार लेते हुए सभी डिपो प्रबंधक/सहायक लेखापाल को विरमित करते हुए दिनांक–31.05.2018 तक विरमित पत्र निगम मुख्याल,पटना को भेंजे अन्यथा उनके वेतन का भुगतान आपके वेतन से करने की कार्रवाई की जायेगी।

3. इस आदेश में सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
28/5/18
(आनन्द प्रकाश सिन्हा)
महाप्रबंधक
(मानव संसाधन एवं प्रशासन)